Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में वृत्त नगर पूर्व की स्पेशल टीम के नागेन्द्र सिंह कानि. 1186 को 20,000/-रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो डिटेन किया गया है एवं अन्य आरोपी टीम सदस्य शक्ति सिंह सउनि, अर्जुन सिंह हैड. कानि. व अनिल मीणा कानि. की तलाश जारी है।**

जयपुर दिनांक 11मार्च 2026, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, उदयपुर द्वारा आज कार्यवाई करते हुये आरोपी **नागेन्द्र सिंह कानि. 1186, वृत्त स्पेशल टीम, वृत्त नगर पूर्व, जिला उदयपुर** को परिवादी से 20,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया की ए.सी.बी. चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, उदयपुर पर परिवादी द्वारा शिकायत प्रस्तुत की कि ष्मेरा एकलिंगपुरा अण्डरपास के पास प्रतापनगर रोड की तरफ कार सर्विस का गैराज है, आज से करीब 04-05 दिन पहले तीन-चार पुलिस वाले सादीवर्दी में सरकारी गाडी लेकर मेरे गैराज पर आये थे, जिसमें नागेन्द्र सिंह, शक्ति सिंह, अर्जुन सिंह व अनिल मीणा थे, उन्होंने बताया कि वह डिप्टी साहब की स्पेशल टीम में है। उन्होंने गैराज में पडी हुई गाडियों के बोनट खोल खोल कर चौक किये और मुझे धमकाया कि चोरी की गाडियां काटते हो, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है। जिस पर मैंने सारी गाडियों के कागज उन्हें दिखाये तो कहने लगे कि तुम्हारे गैराज में नाबालिग काम करते हैं, तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, तुम जीएसटी भी नहीं भरते हो, तुम्हारा गैराज सीज करवा देंगे। उसके बाद वह सभी आये दिन मेरे गैराज पर आकर गैराज चौक कर मुझे डरा धमकाकर परेशान कर रहे हैं और मेरे खिलाफ कार्यवाई नहीं करने और परेशान नहीं करने की ऐवज में 50,000/- रूपये मंथली के रूप में रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। मेरे द्वारा हाथा जोडी करने पर 25,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमति दी है।

जिस पर ए.सी.बी. के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरविजन में ए.सी.बी. स्पेशल यूनिट उदयपुर के प्रभारी अधिकारी **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजीव जोशी** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री लक्ष्मण डांगी** द्वारा दिनांक 06.03.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही की गई, जिसमें आरोपी नागेन्द्र सिंह कानि, शक्ति सिंह सउनि व अनिल मीणा कानि द्वारा परिवादी को उसके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने एवं गैराज को सुचारू रूप से चलाने देने की ऐवज में 25,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी द्वारा रूपये कम करने की मांग करने पर 20,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने की सहमति देने की पुष्टि हुई। जिस पर आज दिनांक 11.03.2026 को श्री लक्ष्मण डांगी, पुलिस निरीक्षक मय टीम द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी नागेन्द्र सिंह कानि. 1186, वृत्त स्पेशल टीम, वृत्त नगर पूर्व, जिला उदयपुर द्वारा परिवादी से 20,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर, अन्य आरोपीगण के बारे में पूछने पर बताया कि स्पेशल टीम के सदस्य मैं, शक्ति सिंह, अर्जुन सिंह व अनिल मीणा हमेशा ही सरकारी वाहन से सर्कल में जाते हैं. आज मैं अकेले ही मोटरसाईकिल पर आया हूं। वृत्त नगर पूर्व की स्पेशल टीम के अन्य आरोपी सदस्य शक्ति सिंह सउनि, अर्जुन सिंह हैड कानि व अनिल कानि. की तलाश की जा रही है।

एसीबी के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।